

सेवा में,

प्रबन्धक,

जी0आर0कास्मिक स्कूल,

धरौना रोड शमशाबाद—आगरा।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन ले लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपरियोग अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र।

### महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 30.07.2017 के आवेदन—जी0आर0कास्मिक स्कूल, धरौना रोड शमशाबाद—आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक दीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा—नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :-

1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात मान्यता / सबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।


2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3— विद्यालय कक्षा 1 में (यां यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की सख्त्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4— पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खेगा।

— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके ता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करना। वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा—

- प्रवेश  किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं  जायेगा।



3— प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोडं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

4— प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।

5— अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

6— अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अहंताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अहंताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अहंताएं अर्जित करेंगे।

7— अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत है और

8— अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा।

8— विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 6500 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र - 1500 वर्ग मीटर

कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - हों

कक्षाओं की संख्या - 10

प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह भांडागार के लिए कक्ष -03

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-02-02

पेयजल सुविधा - हों, समर सेबिल द्वारा

मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई—-

बाधारहित पहुंच - हों, डामर रोड

अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूदउपस्कर्णों/ पुस्तकालय की उपलब्धता—हों

9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10— विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12— स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13— विद्यालय के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

4— आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (17300-06) है। कृपया इसे नोट कर लें और स कार्यालय साथकिसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

— विद्यालय एसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा Manager द्वारा अपेक्षित होता है और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के एसे Gurdaspur District School द्वारा Shamshabad, Agra



Ch

। मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17— प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा । प्रत्येक कक्षा—कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा—कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेंगे तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी ।

18— संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

( आनन्द प्रकाश शर्मा )

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

आगरा

पृ०सं० / मान्यता / अं०मा० / 17300-06/2018-19

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० निशातगंज—लखनऊ ।

2—सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।

3—अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद ।

4—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।

5—जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।

6—संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण / नगर) जनपद आगरा ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आगरा